

## कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (म.प्र)::

प्रकरण क्रमांक-0001 / अ-20(1) / 2021-2022

आदेश ::

इन्दौर-2 धार के पत्र क्रमांक /2435 / एडीबी / म.प्र.स.वि.नि.लि./ 2021 अलीराजपुर मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एवं अलीराजपुर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजरथ मद चरनोई में स्थित खसरा नम्बर-2057कुल रकबा-22.870हेक्टेयर मद नारका0का0 की भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित करने की मांग की गई है।

प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी(राजरथ)चन्द्रशेखर आजाद नगर को भेजा गया | उपरांत अनुशंसा सहित प्राप्त।

जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजरथ भूमि ग्राम बडा पेकी रकबा-21.04 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित किये जाने की विज्ञप्ति जारी की गई विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर आवेदित संस्था को भूमि आपत्ति आमंत्रित की गई,नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा भास्तरा-कठठीवाडा-खेडा, उन्नयन एवं परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर समतुल्य राजरथ भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के ग्राम बडा खुटाजा में स्थित 04 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन दिया है।

प्रकरण में अधीक्षक भू-अभिलेख जिला अलीराजपुर से मध्यप्रदेश शासन,राजस्व निवर्तन निर्देश-2020 के तहत जारी निर्देशों एवं प्राक्षणां के तहत भू-राजस्व के निधरण के संबंध में आवश्यक जाँच एवं परीक्षण कर प्रतिवेदन लिया गया | अधीक्षक

भू-अभिलेख द्वारा प्रतिवेदित किया है कि भासरा-कठठीवाडा-खेडा-जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक के उल्लयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित/हस्तांतरित किये जाने हेतु तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर-05 ग्राम बडा खुटाजा में स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर-2057 कुल रकबा-22.8700 हेक्टेयर मद चरनोई में से रकबा-21.0130 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/हस्तांतरण नियमानुसार बिना प्रब्लेमी तथा नाममात्र का पंजीकृत मूल्य 25 रुपये लेकर किये जाने का अभिमत दिया।

प्रकरण में जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति के सदस्यों से भासरा-कठठीवाडा-खेडा-जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक के उल्लयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने संबंधी अनुमोदन किया गया है।

अतएव तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन तथा अधीक्षक भू-अभिलेख जिला अलीराजपुर के प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्प्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश-2020 के प्रावधानों के तहत भासरा-कठठीवाडा-खेडा, जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक मार्ग के उल्लयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर-13 ग्राम बडा खुटाजा में स्थित खसरा नम्बर-2057 कुल रकबा-22.8700 हेक्टेयर मद चरनोई में से पेकी रकबा-21.0130 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न शर्तों के अधीन भूमि हस्तांतरण किया जाता है:-

- 1- मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू-भाटक आदि के संबंध में कोई आदेश/निर्देश दिये जाते हैं, या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है, तो उन्हें आदेश सकेगा, जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि मानने के लिये आवेदक/विभाग बाध्य होगा।
- 2- हस्तांतरित भूमि का उपयोग विभाग द्वारा प्रदर्शित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई शर्त आरोपित की जाती है, तो उन्हें अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- किसी व्यक्ति विशेष या अन्य किसी विभाग को यह भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना हस्तांतरित नहीं की जावेगी।
- 4- भूमि हस्तांतरण आदेश के एक वर्ष के भीतर जिस प्रयोजन के लिये भूमि की मांग की गई है, उस प्रयोजन में उपयोग किया जाना अनिवार्य है। यदि समयावधि में भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो भूमि का हस्तांतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर भूमि का सीमांकन संबंधित तहसीलदार से करवाया जाकर बाउटीवॉल कर कब्जा रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


~~कलापटर,~~  
जिला अलीराजपुर

पृ०क्रमांक / ५२।/रीडर / 2021

प्रतिलिपि:- (आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ)

- 1- प्रमुख राजस्व आयुक्ता,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल |
- 2- प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग,मंत्रालय,भोपाल |
- 3- आयुक्ता, इन्डौर संभाग इन्डौर |
- 4- अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी (मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश-2020) जिला अलीराजपुर
- 5- संभागीय प्रबंधक,मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड इन्डौर-2 धार |  
वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर |
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर |
- 7- तहसीलदार तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर की ओर आदेशानुसार भूमि का रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु।
- 8- अधीक्षक,भू-अभिलेख जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अलीराजपुर, दिनांक २२/०७/२०२१

  
कलेक्टर,  
  
जिला अलीराजपुर

## कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (म.प्र)::

प्रकरण क्रमांक-0002 /अ-20(1) / 2021-2022

आदेश ::

आवेदित संस्था संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड इन्डॉर-2 धार के पत्र क्रमांक /2435 /एडीबी /म.प्र.स.वि.नि.लि. /2021 अलीराजपुर दिनांक 29.01.2021 के द्वारा भासरा-कठठीवाडा-खेडा, जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर -मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम दिल्या का फलिया में स्थित खसरा नम्बर-1 कुल रक्षा-8.400 हेक्टेयर मद नारोका० का० में से पैकी रक्षा-1.903 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित करने की मांग की गई है।

प्रकरण पंजीबृद्ध कर विधिवत जांच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर को भेजा गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर से जांच एवं परीक्षण उपरांत अनुशंसा सहित प्राप्त।

तहसीलदार, तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा भासरा-कठठीवाडा-खेडा, जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम दिल्या का फलिया में स्थित खसरा नम्बर-1 कुल रक्षा-8.400 हेक्टेयर मद नारोका० का० में से पैकी रक्षा-1.903 हेक्टेयर के स्थान पर रक्षा-3.7600 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित किये जाने की विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर आवेदित संस्था को भूमि आवंटन/हस्तांतरण करने हेतु आपत्ति आमंत्रित की गई, नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा तहसीलदार चन्द्रशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर भासरा-कठठीवाडा-खेडा, जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर के ग्राम दिल्या में स्थित खसरा नम्बर-1 कुल रक्षा-8.400 हेक्टेयर मद नारोका० का० में से पैकी रक्षा-1.903 हेक्टेयर के स्थान पर रक्षा-3.7600 हेक्टेयर वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन दिया है।

प्रकरण में अधीक्षक भू-अभिलेख जिला अलीराजपुर से मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 24 सितम्बर-2020 से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश-2020 के तहत जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत भू-राजस्व के निर्धारण के संबंध में आवश्यक जांच एवं परीक्षण कर प्रतिवेदन लिया गया। अधीक्षक

भू-अभिलेख द्वारा प्रतिवेदित किया है कि भाभरा-कठठीवाडा-खेड़ा-जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होने से समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित / हस्तांतरित किये जाने हेतु तहसील चन्दशेखर आजाद नगर के पटवारी हल्का नम्बर-13 ग्राम हेक्टेयर मद नारोका0का0 में से रक्खा-3.7600 हेक्टेयर भूमि का आवंटन / हस्तांतरण नियमानुसार बिना प्रब्लेजी तथा नाममात्र का पंजीकृत मूल्य 25 रुपये लेकर किये जाने का अभिमत दिया।

प्रकरण में जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति के सदस्यों से

भाभरा-कठठीवाडा-खेड़ा-जोबट-नानपुर एवं अलीराजपुर-मथवाड सडक के उन्नयन राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने संबंधी अनुमोदन किया गया है। अतएव तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)चन्दशेखर आजाद नगर के जांच एवं परीक्षण प्रतिवेदन तथा अधीक्षक भू-अभिलेख जिला अलीराजपुर के प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्देश-2020 के प्रावधानों के तहत भाभरा-कठठीवाडा चौड़ीकरण कार्य में कुल 24.773 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व फलिया में स्थित खसरा नम्बर-1 कुल रक्खा-8.4000 हेक्टेयर मद नारोका0का0 में से हेतु निम्न शर्तों के अधीन भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण 1- मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य / भू-भाटक आदि के संबंध में कोई आदेश / निर्देश दिये जाते हैं, या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती हैं, तो उन्हे हस्तांतरित भूमि का उपयोग विभाग के मूल्य / भू-भाटक आदि के संबंध में कोई मानने के लिये आवेदक / विभाग बाध्य होगा।

- 2- जा सकेंगा, जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- किसी व्यक्ति विशेष या अन्य किसी विभाग को यह भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना हस्तांतरण आदेश के एक वर्ष के भीतर जिस प्रयोजन के लिये भूमि की समयावधि में भूमि का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। यदि स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 4- भूमि हस्तांतरण आदेश के माह के अन्दर भूमि का हस्तांतरण आदेश सांग की गई है, उस प्रयोजन में उपयोग किया जाना अनिवार्य है। यदि आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर भूमि का सीमांकन संबंधित तहसीलदार से करवाया जाकर बाउड्रीवॉल कर कब्जा रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5-

~~कांसेक्ट्यून~~  
जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक २२/०७/२०२१

पृ० क्रमांक / ५२२ / रीडर / २०२१

प्रतिलिपि:- (आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ)

- १- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- २- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- ३- आयुक्त, इन्डौर संभाग इन्डौर।
- ४- अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी (मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वत्तन निर्देश-२०२०) जिला अलीराजपुर संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्डौर-२ धार।
- ५- वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर।
- ६- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर आजाद नगर।
- ७- तहसीलदार तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर की ओर आदेशानुसार भूमि का रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु।
- ८- अधीक्षक, मू-अभिलेख जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ९-

~~कलेक्टर~~  
जिला अलीराजपुर